

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशारान गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम देवरिया तहसील फुलियाकलां  
प्रकरण संख्या - 100/2020  
पीठारिीन अधिकारी - राजकेश भीना (आर.ए.एस.)

1 प्रेम देवी पत्नि ओमप्रकाश ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा  
सुनवान  
----- ( प्रार्थी)

1 नोश्त पिता छीतर नाई उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा  
बनाम  
2 कल्याण पिता भूषा ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा  
3 मांगी लाल पिता देवी ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा  
4 दुर्गालाल पिता जगनाथ ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा  
----- ( अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.गू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 22.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.गू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 02.12.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पनोतिया पटवार गण्डल देवरिया भूअ.नि. अरवड तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 211 के आ.न. 1114 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पक्षीरी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र रवीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 04.12.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तागील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशारान गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम देवरिया दिनांक 22.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में रवीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण रवीकार किया जाकर वाके ग्राम पनोतिया पटवार गण्डल देवरिया भूअ. नि. अरवड तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 211 के आ.न. 1114 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी बरामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व राभी पक्षीरियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, गिरी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकें अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फौसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को प्रशारान गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम देवरिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश भीना)

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां  
जिला भीलवाड़ा

